अध्याय 2

2. विद्युत क्षेत्र

2.1 निष्पादन लेखापरीक्षा

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा टैरिफ, बिलिंग और राजस्व का संग्रहण

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) 15 मार्च 1999 को निगमित हुई थी तथा यह हरियाणा के दक्षिणी भागों में बिजली वितरित करती है। कंपनी का उद्देश्य कुशल, समन्वित और मितव्ययी बिजली वितरण प्रणाली विकसित करना एवं उनका रख-रखाव करना है तथा बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करना है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

मुख्यांश

कंपनी को 2013-16 के दौरान ₹ 2,703.69 करोड़ की अतिरिक्त हानि वहन करनी पड़ी क्योंकि कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित मानकों से अधिक थी। तथापि, कंपनी ने 2016-18 में ए.टी. एंड सी. हानि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(अनुच्छेद 2.1.6.2)

कंपनी ने बिजली अधिनियम के प्रावधानों तथा हरियाणा विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ आदेशों के उल्लंघन में महिला उपभोक्ताओं को 2005-06 से 2017-18 के दौरान ₹ 14.40 करोड़ की रियायत की अनुमति दी (जून 2017)। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के बिना ₹ 6.41 करोड़ की राशि के परिदान वाला टैरिफ प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप यह हरियाणा विद्युत नियामक आयोग को अपनी कुल राजस्व आवश्यकता अपीलों में इस राशि को शामिल नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.1.7.1 (क) (ख) एवं (ग))

कंपनी ने बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को 1,615.70 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त बिजली आपूरित की, जिसके लिए उनसे कोई राजस्व नहीं वसूला गया तथा कंपनी को 2013-18 के दौरान ₹ 18.90 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

(अनुच्छेद 2.1.7.2 (ii))

कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अग्रिम उपभोग जमा (ए.सी.डी.) के रूप में ₹ 935.91 करोड़ की राशि कम वसूल की तथा परिणामस्वरूप बढ़े हुए ऋण पर ₹ 122.05 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भार वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.1.8.5)

कंपनी ने कृषि पंपसेट मीटर वाले उपभोक्ताओं से न्यूनतम मासिक प्रभारों एवं नियत प्रभारों की कम वसूली और मीटर किराए के कम प्रभारण के कारण ₹ 15.02 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 (क, ख एवं घ))

कंपनी मार्च 2018 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा यथा निर्धारित संग्रहण दक्षता लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी तथा परिणामस्वरूप वसूलनीय राशि मार्च 2014 में ₹ 4,460.18 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में ₹ 7,332.70 करोड़ हो गई।

(अनुच्छेद 2.1.10.1)

2.1.1 प्रस्तावना

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) 15 मार्च 1999 को निगमित की गई थी तथा यह राज्य के दक्षिणी जिलों[1] में बिजली वितरित करती है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत कुल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) के आधार पर हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा टैरिफ नियत किया जाता है।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को विद्युत के विक्रय का कार्य कंपनी के निर्देशक (परिचालन) के अधीन है जो वितरण नेटवर्क के स्थापन, परिचालन एवं रख-रखाव और राजस्व के बिलिंग एवं संग्रहण को मॉनीटर भी करता है। बैंकों में एकत्रित राजस्व का वित्तीय सलाहकार द्वारा समाधान किया जाता है।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- सभी उपभोक्ताओं के लिए सस्ती, विश्वसनीय और सतत बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है;
- ए.आर.आर. में सही और समय पर प्रस्ताव बनाकर बिजली प्रदान करने की लागत वसूल की जा रही है;
- मीटरिंग और बिलिंग का प्रबंधन कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया गया था;
- राजस्व का संग्रहण और लेखांकन मितव्ययितापूर्वक और कुशलतापूर्वक किया गया था; तथा
- बिलिंग और संग्रहण गतिविधि में जोखिम के उन्मूलन के लिए पर्याप्त निगरानी और आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं।

[1] भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरूग्राम, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, नारनौल, नूंह, पलवल, रेवाड़ी तथा सिरसा।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा परिणामों का मूल्यांकन लेखापरीक्षा मानदंड के विरूद्ध किया जा रहा है जिनके स्रोत निम्नलिखित हैं:

- बिजली अधिनियम, 2003 तथा एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी टैरिफ आदेश एवं निर्देश/अनुदेश;
- राजस्व के संग्रहण, इसके लेखा-जोखा तथा चोरियों की रोकथाम से संबंधित एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी आदेश/कंपनी के परिपत्र एवं अनुदेश;
- एच.ई.आर.सी./कंपनी द्वारा नियत बिलिंग और संग्रहण कुशलता के लक्ष्य, कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानियां और सतर्कता जांच के मानक; तथा
- हरियाणा सरकार की म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम तथा उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

मार्च 2014 तक कंपनी का उपभोक्ता आधार 28.33 लाख था जो मार्च 2018 में बढ़कर 32.91 लाख (घरेलू 25.95 लाख, गैर-घरेलू 3.09 लाख, कृषि पंपसेट 3.13 लाख और अन्य 0.74 लाख) हो गया था। नवंबर 2017 से मई 2018 तक की गई लेखापरीक्षा में 2013-18 के दौरान टैरिफ प्रस्ताव, कनेक्शनों के निर्गम तथा बेची गई ऊर्जा के लिए मीटरिंग, बिलिंग तथा राजस्व के संग्रहण से संबंधित कंपनी की गतिविधियों का परीक्षण शामिल था। लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय में तथा 11 परिचालन परिमंडलों में से छ:[2] परिचालन परिमंडलों में अनुरक्षित अभिलेखों का स्ट्रैटीफाइड रेंडम सेंपलिंग मैथड[3] के माध्यम से चयन किया गया था। चयनित परिचालन परिमंडलों में 17 परिचालन डिवीजन और 32 सब-डिवीजन शामिल थे। यह निर्धारित किए गए राजस्व के 78.44 प्रतिशत के लिए परिगणित किया गया तथा कंपनी द्वारा 2013-18 की अवधि के दौरान 79.09 प्रतिशत राजस्व वसूल किया गया। उपभोक्ताओं के बिलिंग डाटा का इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रेक्शन एंड एनालाइसिस (आईडिया) साफ्टवेयर का उपयोग करके विश्लेषण किया गया था। विश्लेषण के परिणाम कंपनी द्वारा यथा आपूरित डाटा पर आधारित हैं तथा लेखापरीक्षा इस डाटा के आधार पर बनाए गए परिणामों के किसी गलत विवरण का उत्तरदायित्व नहीं लेती। लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर एंट्री कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श (जनवरी 2018) किया गया था। सभी लेखापरीक्षा परिणाम कंपनी और सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2018) किए गए थे तथा एग्जिट कांफ्रेंस में विचार-विमर्श (जुलाई 2018) किया गया था जिसमें अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, ऊर्जा विभाग तथा कंपनी के चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक ने भाग लिया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय कंपनी तथा सरकार द्वारा व्यक्त विचारों को भी ध्यान में रखा गया है।

[2] भिवानी, फरीदाबाद, गुरूग्राम-II, हिसार, रेवाड़ी तथा सिरसा।

[3] विभाजन, 2012-17 के दौरान बिल बनाए गए राजस्व के आधार पर किया गया था तथा तीन स्तर बनाए गए थे। आइडिया टूल का उपयोग करके एक परिमंडल न्यूनतम से, दो परिमंडल अधिकतम से तथा तीन परिमंडल मध्यम स्तर से चयन किए गए थे।

सहयोगी कंपनी अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की इस गतिविधि की 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में समीक्षा की गई थी। इस प्रतिवेदन पर अभी (नवंबर 2018) तक कोपू द्वारा चर्चा नहीं की गई है।

2.1.6 लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6.1 वित्तीय निष्पादन

गत पांच वर्षों के लिए कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:

तालिका 2.1.1: वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	प्रदत्त पूंजी	1,439.13	1,459.12	2,537.94	2,648.74	5,063.93
2	लंबी अवधि ऋण	10,235.5	13370.58	12144.24	7622.04	5311.72
3	संचित हानियां	-10,726.59	-12,719.03	-13,190.61	-13,951.74	-13,790.39
4	आरक्षित	1,057.88	1,105.51	2,955.79	5,080.91	5,257.96
5	कुल राजस्व	11,454.06	13,400.87	15,170.03	15,628.57	16,912.33
6	कुल व्यय	13,542.71	14,037.03	15,641.61	15,616.61	16,778.21
7	वित्तीय लागत	991.69	950.50	1,772.19	959.74	779.91
8	वर्ष का लाभ/हानि	-2,088.65	-636.16	-471.58	11.96	134.12
9	शुद्ध संपत्ति (1+3)	-9,287.46	-11,259.91	-10,652.67	-11,303.00	-8,726.46
10	ऋण आवर्त (2/5)	0.89	1.00	0.80	0.49	0.31

कंपनी वित्तीय वर्ष 2015-16 तक अपने परिचालनों में हानियां उठा रही थी। तथापि, इसने वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में लाभ सूचित किए। यह आंशिक रूप से कंपनी की बेहतर संचालन क्षमता के कारण था, जो ए.टी. एंड सी. हानियों की कमी में प्रतिबिंबित थी और उदय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कंपनी के ऋण लेने के परिणामस्वरूप वित्तीय लागत में कमी आयी थी। कंपनी का निवल मूल्य 2014-18 के दौरान भारी संचित घाटे के कारण नकारात्मक रहा।

उदय स्कीम में प्रावधान है कि राज्य सरकारें वितरण कंपनियों (डिस्कोम्ज) के उधारों का 75 प्रतिशत अपने पास लेंगी, परिदान, इक्विटी के सभी बकाया देयों का भुगतान करेंगे और उपयोगिताओं की ईंधन अधिभार समायोजन करेंगी तथा सरकारी विभागों के बकाया बिजली देयों का भुगतान करेंगी। डिस्कोम्ज को परिचालनात्मक दक्षता सुधारने के लिए स्कीम में सभी त्रुटिपूर्ण एवं इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने, ट्रांसफार्मरों के अपग्रेडेशन या बदलने, नियमित टैरिफ पुनरीक्षणों तथा बिजली की चोरी को कम करने के लिए व्यापक जांचों, इत्यादि जैसे उपायों का प्रावधान किया गया है। परिचालनात्मक सुधारों का परिणाम 2018-19 तक ए.टी. एंड सी. हानियों में 15 प्रतिशत तक कमी तथा बिजली की आपूर्ति की औसत लागत और वसूल किए गए औसत राजस्व के मध्य अंतर को कम करके और अंततः उन्मूलन के माध्यम से मापा जाना था।

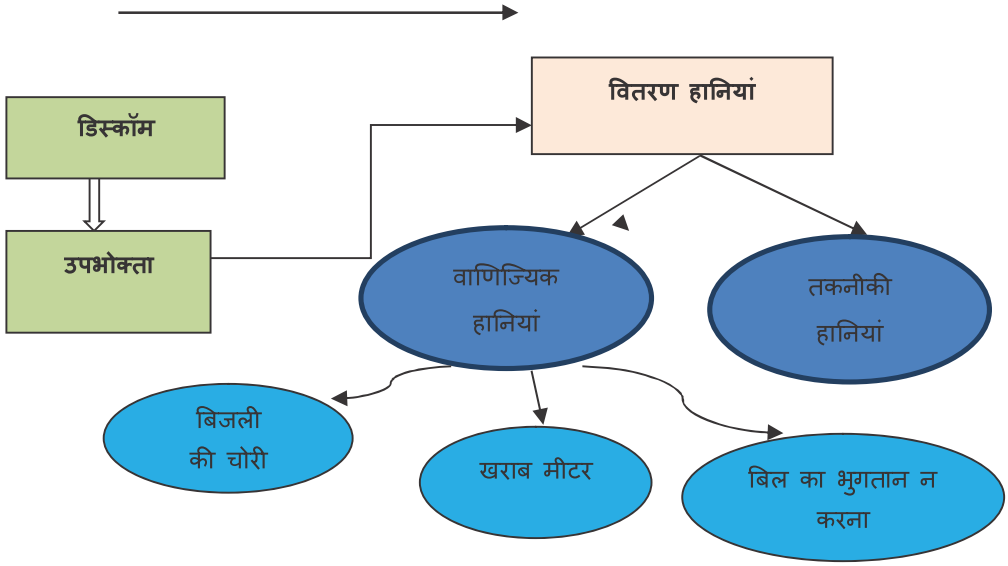
हरियाणा सरकार ने स्कीम को सहमति दी (मार्च 2016) और (विद्युत मंत्रालय) भारत सरकार और राज्य डिस्कोम्ज के साथ त्रिपक्षीय करार में शामिल हुई तथा 30 सितंबर 2015 को दो वर्षों के डिस्कोम्ज के उधारों का 75 प्रतिशत अपने पास लिया। राज्य सरकार ने

2015-16 तथा 2016-17 के दौरान (2015-16 में ₹ 6,725.02 करोड़ तथा 2016-17 में ₹ 3,362.51 करोड़) ₹ 10,087.53 करोड़[4] के उधार अपने पास लिए जिससे 2015-16 की तुलना में वित्तीय लागत[5] 2016-17 में ₹ 812.45 करोड़ तथा 2017-18 में ₹ 992.28 करोड़ तक नीचे आई।

कंपनी वित्तीय वर्ष 2015-16 तक अपने परिचालनों में घाटा उठा रही थी। तथापि, इसने वर्ष 2016-17 और 2017-18 में लाभ दर्ज किया। यह आंशिक रूप से कंपनी की उन्नत परिचालनात्मक दक्षता, जोकि ए.टी. एंड सी. हानियों में कमी में प्रतिबिंबित हुई के कारण तथा उदय स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहनों के हिस्से के रूप में राज्य सरकार द्वारा कंपनी के ऋण लेने और वित्तीय लागत में परिणामी कमी के कारण भी था।

2.1.6.2 कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां

विद्युत का उपभोक्ता तक प्रसारण होने में विभिन्न कारणों से विद्युत का क्षय होता है:



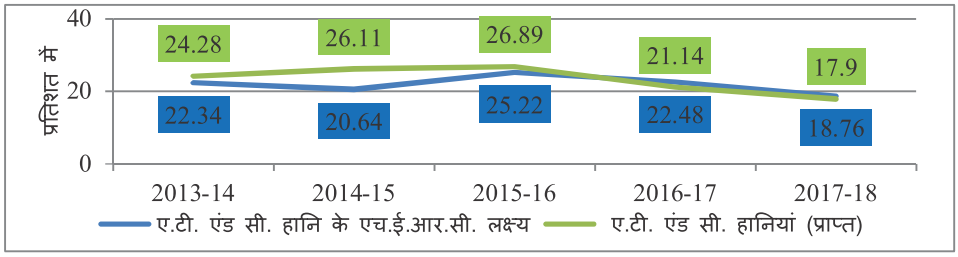
नीचे दिए गए चार्ट में एच.ई.आर.सी. द्वारा कंपनी के लिए ए.टी. एंड सी. हानियों में कमी के लिए निर्धारित लक्ष्यों और 2013-14 से 2017-18 तक उनके विरूद्ध उपलब्धियों को

[4] राज्य सरकार ने 2017-18 तक ₹ 3,354.61 करोड़ की इक्विटी पूंजी जारी की थी, जिसमें ₹ 1,951.03 करोड़ के एक तिहाई राज्य सरकार ऋण का रूपांतरण भी शामिल था। शेष ऋण को 2018-19 और 2019-20 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा।

[5] वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित कार्यशील पूंजी ऋण दर पर परिकलित।

इंगित किया गया है:

चार्ट 2.1.1: ए.टी. एंड सी. हानियां - लक्ष्य और उपलब्धियां



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

ए.टी. एंड सी. हानियां 2013-16 के दौरान मानकों से अधिक हो गई जिससे कंपनी की लागत ₹ 2,703.69 करोड़ हो गई। कंपनी ने खराब मीटरों को बदलकर तथा मीटरों को उपभोक्ता के परिसरों से बाहर शिफ्ट करके 2016-18 के दौरान ए.टी. एंड सी. हानियों को कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जिसने बिजली के मीटरों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को कम करने में मदद की और बिजली की सटीक बिलिंग को सक्षम बनाया, साथ ही बिजली के अवैध दोहन की घटना को कम करने के लिए इंसुलेटिड केबलों में बेयर कंडक्टरों को भी बदला, जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा .2 में दर्शाया गया है।

एच.ई.आर.सी. ने वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी की कुल राजस्व आवश्यकताओं को अंतिम करते समय (2015) निर्देश दिया कि 31 मार्च 2015 को 50 प्रतिशत से अधिक वितरण हानियों वाले ग्रामीण घरेलू आपूर्ति (आर.डी.एस.) फीडरों[6] की संख्या 2015-16 के अंत तक आधे तक नीचे लाई जाए तथा अगले ए.आर.आर. फाइल करने तक सभी शहरी फीडरों की हानियां 25 प्रतिशत से नीचे लाई जाए।

आर.डी.एस. तथा शहरी फीडर हानियों की कमी निम्नानुसार है:

तालिका 2.1.2: आर.डी.एस. तथा शहरी फीडरों की कमी

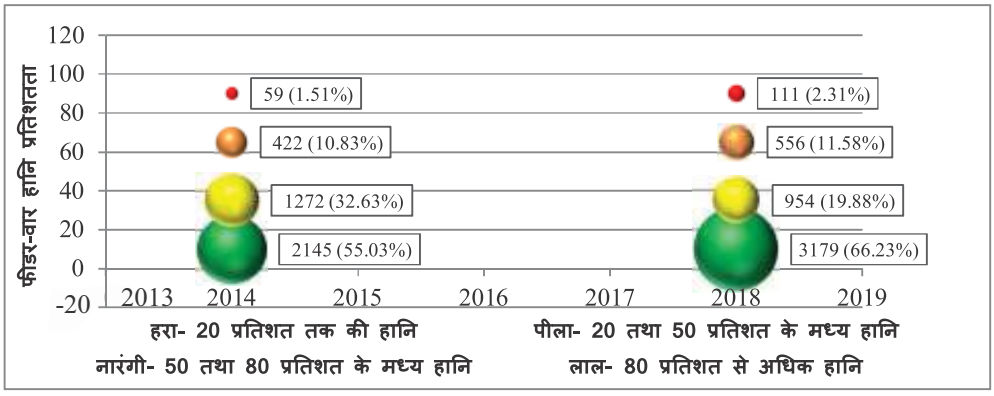
फीडर का प्रकार	मार्च 2015		मार्च 2016	
	फीडरों की संख्या	50 प्रतिशत से अधिक हानि वाले और 25 प्रतिशत से अधिक हानि वाले शहरी आर.डी.एस. फीडर	एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत घाटे में कमी के लिए प्राप्त किए जाने वाले (संख्या में) लक्ष्य	अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक हानि वाले और 25 प्रतिशत से अधिक हानि वाले शहरी आर.डी.एस. फीडर
1	2	3	4	5
आर.डी.एस	753	406	203	533 (कुल फीडरों का 70.78 प्रतिशत)
शहरी	608	162	0	176 (कुल फीडरों का 28.95 प्रतिशत)

मार्च 2018 में 50 प्रतिशत से अधिक वितरण घाटे वाले ग्रामीण फीडरों की संख्या बढ़कर 431 हो गई, जो कुल ग्रामीण फीडरों (871 सं.) का 50 प्रतिशत था। 25 प्रतिशत से अधिक वितरण घाटे वाले शहरी फीडरों की संख्या घटकर 78 हो गई।

[6] 33 के.वी. पावर सब-स्टेशन से अंतिम उपभोक्ता तक उच्च वोल्टेज आपूर्ति लाईन को फीडर के रूप में जाना जाता है।

अप्रैल 2014 तथा मार्च 2018 को कंपनी के सभी फीडरों की लाईन हानियों की तुलनात्मक स्थिति नीचे चार्ट 2 में दी गई है:

चार्ट 2.1.2: फीडरों की संख्या तथा उनकी लाईन हानियों की प्रतिशतता



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा। ध्यान स्तरों का उपर्युक्त निर्धारण लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित है।

जैसाकि देखा जा सकता है, 20 प्रतिशत तक लाईन हानियों वाले फीडरों की संख्या अप्रैल 2014 में कुल फीडरों के 55 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 में 66.23 प्रतिशत हो गई तथा 20 से 50 प्रतिशत लाईन हानियों वाले फीडरों की संख्या 32.63 प्रतिशत (अप्रैल 2014) से घटकर 19.88 प्रतिशत (मार्च 2018) हो गई जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की ए.टी. एंड सी. हानियों में समग्र कमी हुई तथा 2016-17 एवं 2017-18 तक ए.टी. एंड सी. हानियों में कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी सहायता की।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि वितरण हानियों में गिरावट है तथा हानियों को और कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.1.6.3 म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम

राज्य सरकार ने हानियों पर अंकुश लगाने के लिए ''म्हारा गांव जगमग गांव'' (एम.जी.जे.जी.) स्कीम आरंभ की (जुलाई 2015)। इस स्कीम के अंतर्गत जनवरी 2018 को 871 आर.डी.एस. फीडरों में से 323 फीडर आवृत्त किए गए थे। स्कीम के निम्नलिखित मुख्य बिंदु थे:

- स्कीम को अपनाने पर चयनित फीडरों को बिजली की आपूर्ति प्रतिदिन औसतन 12 से 15 घंटे तक बढ़ाई जानी थी;
- कंपनी को बेयर कंडक्टरों को बदलना, त्रुटिपूर्ण/इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटरों को स्टेटिक मीटरों के साथ बदलना, उपभोक्ताओं के परिसरों से मीटरों को बाहर करना इत्यादि था जिसके बाद आपूर्ति 15 से 18 घंटे प्रतिदिन तक बढ़ाए जाने थे;
- यदि उपभोक्ताओं ने आपूरित बिजली (20 प्रतिशत की तकनीकी हानि अनुमत करने के पश्चात्) की 90 प्रतिशत की सीमा तक अपने बिलों का भुगतान किया तो उन फीडरों पर आपूर्ति घंटे 18 से 21 घंटे प्रतिदिन तक बढ़ाए जाने थे; तथा

- यदि फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं की चूक राशि[7] 10 प्रतिशत से कम हो जाती है तो आपूर्ति घंटे 24 घंटे तक बढ़ा दिए जाएंगे।

कंपनी ने जनवरी 2018 तक 323 फीडरों में से 288 फीडरों पर अपग्रेडेशन कार्य पूर्ण कर लिया था तथा इन आर.डी.एस. फीडरों में समग्र हानियां मई 2018 तक 41.88 प्रतिशत से घटकर 31.38 प्रतिशत तक रह गई थी।

तथापि, यह देखा गया कि 127 फीडरों के संबंध में बिजली की आपूर्ति इन फीडरों पर 24 घंटे तक बढ़ाई गई थी, यद्यपि ये 21 घंटे तक बिजली की आपूर्ति के लिए भी पात्र नहीं थे। राजस्व वसूली की प्रतिशतता दो फीडरों पर 11 से 20 प्रतिशत तक कम तथा 68 फीडरों पर 20 एवं 60 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.3: फीडरों की संख्या तथा आपूरित बिजली से एकत्र राशि की प्रतिशतता

क्र.सं.	आपूर्ति की गई बिजली की राशि का प्रतिशत	फीडरों की संख्या
1	11-20	2
2	20-40	10
3	40-60	58
4	60-71	57

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि स्कीम अभी भी प्रारंभिक स्तर पर है और समय के साथ कार्यान्वयन में सुधार होगा।

इस स्कीम को कुछ शर्तों की पूर्ति पर बिजली की गुणवत्ता और आपूर्ति में सुधार के लिए शुरू किया गया था। परंतु स्कीम के अभिप्रेत उद्देश्य और भावना तब विफल हुए जब आपूर्ति घंटे अपात्र फीडरों पर बढ़ा दिए गए थे।

कंपनी ऊर्जा के नुकसान में कमी करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रही जिसने इसे मुनाफे में बदलने की सहायता की।

2.1.7 टैरिफ प्रस्ताव

कंपनी को प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक एच.ई.आर.सी. के पास अपनी कुल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) फाईल करनी अपेक्षित है। ए.आर.आर. वर्ष का संभावित कुल राजस्व, बिजली प्रदान करने की अनुमानित लागत तथा राजस्व अंतर को आवृत करने के प्रस्ताव को दर्शाता है। कनेक्टिड लोड के साथ-साथ अंतिम उपयोग पर आधारित बिजली कनेक्शनों की पांच मुख्य श्रेणियां हैं:

1. घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) - आवासीय उपयोग हेतु, हास्टलों में, पूजा स्थलों इत्यादि में।
2. गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.) - दुकानों, पेट्रोल पंपों, शापिंग मालों, शैक्षिक संस्थाओं इत्यादि में जैसे वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु।
3. लो-टेंशन (एल.टी.) आपूर्ति - 50 किलोवाट तक कनेक्टिड लोड वाले औद्योगिक उपभोक्ता।

[7] चूक राशि स्कीम के अंतर्गत चयनित फीडरों पर जुड़े उपभोक्ताओं से संबंधित है।

4. हाई-टेंशन (एच.टी.) आपूर्ति - 50 किलोवाट से अधिक कनेक्टिड लोड वाले औद्योगिक उपभोक्ता।

5. कृषि पंपसेट (ए.पी.) - केवल कृषि प्रयोजन हेतु।

2.1.7.1 उपभोक्ताओं को रियायत

अपेक्षित कुल राजस्व वसूल करने के लिए एच.ई.आर.सी. विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं से प्रभारित किए जाने वाले श्रेणीवार टैरिफ कों मंजूरी देता है। बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में उपभोक्ता की किसी श्रेणी को परिदान प्रदान करने का निर्णय लेती है तो राज्य सरकार कंपनी को अग्रिम में मुआवजा देगी। यदि मुआवजा नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार के निर्देश निष्क्रिय हो जाएंगे। एच.ई.आर.सी. ने लाइसेंसी (सितंबर 2015) को निर्देश दिया कि वे आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना वित्तीय प्रभाव वाले किसी भी परिपत्र/निर्देश को जारी न करें।

उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को कंपनी द्वारा प्रदान किए गए रियायती टैरिफ की यह देखने के लिए जांच की गई कि क्या ये सरकार के निर्देश के अनुसार दी गई थी तथा क्या और किस सीमा तक सरकार द्वारा कंपनी को समय पर क्षतिपूर्ति की गई थी।

(क) महिला उपभोक्ताओं को रियायत

राज्य विद्युत विभाग ने महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों तथा जहां महिलाओं के नाम पर ऐसी संपत्तियों के घरेलू बिजली कनेक्शन हैं, के संबंध में टैरिफ को 10 पैसे प्रति किलोवाट घंटा तक घटाने के सरकार के निर्णय (जून 2005) की सूचना कंपनी को दी। इस निर्णय के अनुसरण में कंपनी ने एक बिक्री निर्देश जारी किया (अगस्त 2005) तथा महिला उपभोक्ताओं को रियायत देना शुरू किया। तथापि, वित्त विभाग ने कंपनी को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने से मना कर दिया (नवंबर 2005) तथा सुझाव दिया कि राजस्व की कमी को दक्षता लाभ के माध्यम से पूरा किया जाए। एच.ई.आर.सी. ने अपने 2005-06 के टैरिफ आदेशों में पाया कि कंपनी द्वारा बिक्री परिपत्रों का निर्गम बिजली अधिनियम, 2003 के अनुरूप नहीं था तथा आदेश दिया कि महिला उपभोक्ताओं को रियायती टैरिफ नहीं दिया जाए।

कंपनी ने रियायत को वापस लेने की बजाय रियायती दरें अनुमत/प्रभारित करनी जारी रखी तथा 2005-06 से 2017-18 (जून 2017) की अवधि के दौरान ₹ 14.40 करोड़ की रियायत दी। यह मामला वर्ष 2010-11 तथा 2013-16 के लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कंपनी के ध्यान में लाए जाने के बावजूद था।

इस रियायत के निरंतर विस्तारण के परिणामस्वरूप तथा राज्य सरकार से मुआवजे की प्राप्ति नहीं होने के कारण कंपनी द्वारा वृद्धित उधारों के कारण 2013-18 के दौरान ₹ 5.07 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा। यह भी देखा गया कि ऊर्जा प्रभारों में महिला उपभोक्ताओं को लागू 10 पैसा प्रति किलोवाट घंटा की छूट भी गलत तरीके से 380 पुरूष उपभोक्ताओं को दी गई थी। कंपनी ने जुलाई 2017 से रियायत वापस ले ली।

(ख) किसानों, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, के बिजली बिलों को माफ करना

मुख्यमंत्री, हरियाणा की घोषणा के अनुवर्तन में कंपनी ने, उन किसानों, जिनकी फसलें बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि इत्यादि के कारण मार्च तथा अप्रैल 2015 में बर्बाद हो गई थी, को राहत प्रदान करने के लिए उनके बिजली बिलों को माफ करने के आदेश जारी किए

(सितंबर 2015)। कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के अनुमोदन के बिना सरकारी घोषणा के आधार पर चार[8] परिमंडलों में क्षतिग्रस्त फसलों की प्रतिशतता पर आधारित बिजली बिलों के 2015-16 के दौरान ₹ 4.71 करोड़ माफ किए। कंपनी को अभी सरकार के पास दावे प्रस्तुत करने थे (सितंबर 2018)। इस प्रकार, ₹ 4.71 करोड़ की रियायत की राशि न तो राज्य सरकार से प्राप्त हुई और न ही एआर.आर./ट्रू-अप में शामिल की गई।

(ग) गौशालाओं को छूट

राज्य सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं से ₹ दो प्रति किलोवाट घंटा का रियायती टैरिफ घोषित किया (जनवरी 2007) तथा मासिक लेखा विवरणी के प्रस्तुतिकरण पर कंपनी को परिदान प्रदान करने की सहमति दी। तथापि, बिल/परिदान में अधिकतम छूट ₹ 2,000 प्रति माह प्रति गौशाला से अधिक नहीं थी। रियायती ऊर्जा देने के आदेश सरकारी घोषणा पर आधारित थे तथा एच.ई.आर.सी. का अनुमोदन नहीं लिया गया। कंपनी ने 2007-18 के दौरान ₹ 1.70 करोड़ की छूट दी किंतु इसे अभी (सितंबर 2018) तक सरकार के पास दावे प्रस्तुत करने थे।

इस प्रकार, ₹ 1.70 करोड़ की रियायत की राशि न तो राज्य सरकार से प्राप्त की गई और न ही ए.आर.आर./ट्रू-अप में शामिल की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि महिला उपभोक्ता, गौशालाओं और फसलों की क्षति के कारण दी गई रियायत के कारण परिदान परिकलित किए गए थे तथा दोनों डिस्कोम्ज, अर्थात उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, के समेकित परिदान दावे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

2.1.7.2 कृषि पंप सेट उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति

(i) कृषि पंप सेट (ए.पी.) उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति हेतु टैरिफ को दो श्रेणियों - मीटर वाले तथा एक समान दर (बिना मीटर वाले) में विभाजित किया जाता है। राज्य सरकार ए.पी. उपभोक्ताओं को बिजली की रियायती आपूर्ति प्रदान करने तथा आपूर्ति की लागत और कंपनी द्वारा प्रभारित रियायती टैरिफ के मध्य अंतर की प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निम्न तालिका वर्ष 2013-18 के दौरान कृषि पंप सेट उपभोक्ताओं (मीटर वाले तथा बिना मीटर वाले[9]) को राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रति किलोवाट घंटा परिदान और बिजली की

[8] भिवानी, नारनौल, रेवाड़ी तथा सिरसा।

[9] बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं का टैरिफ प्रतिदिन आठ घंटे की खपत के हिसाब से मासिक खपत के आधार पर परिकलित किया गया है। फिर प्रभार्य टैरिफ निकालने के लिए माह में उपभोग की गई कुल बिजली को प्रतिमाह प्रति ब्रेक हॉर्स पावर के निश्चित प्रभारों से विभाजित किया जाता है। वर्ष 2013-14 के टैरिफ आदेशों में बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं से नियत प्रभार 15 बी.एच.पी. तक के भार के लिए ₹ 35 प्रतिमाह प्रति बी.एच.पी. तथा 15 बी.एच.पी. से अधिक भार के लिए ₹ 30 प्रतिमाह प्रति बी.एच.पी. प्रभारित किए जाने थे। 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए नियत प्रभार 15 बी.एच.पी. तक के भार के लिए ₹ 15 प्रतिमाह प्रति बी.एच.पी. और 15 बी.एच.पी. से अधिक भार के लिए ₹ 12 प्रतिमाह प्रति बी.एच.पी. निर्धारित किए गए थे।

आपूर्ति की लागत इंगित करती है:

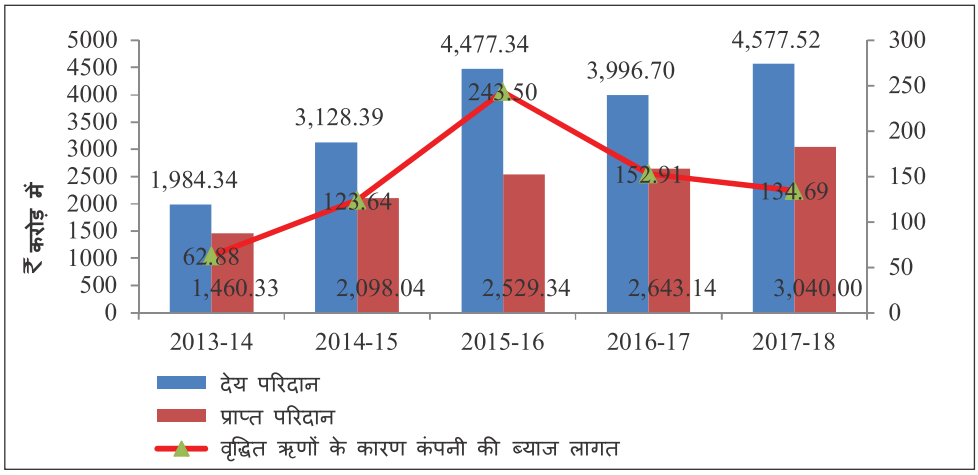
तालिका 2.1.4: बिजली की आपूर्ति की लागत तथा परिदान प्रति किलोवाट घंटा

(प्रति किलोवाट घंटा पैसे में)

वर्ष	उपभोक्ता की श्रेणी	आपूर्ति की लागत	उपभोक्ताओं से प्रभारित अनुमोदित टैरिफ		परिदान प्रति किलोवाट घंटा	
			15 बी.एच.पी. तक[10]	15 बी.एच.पी. से अधिक	15 बी.एच.पी. तक	15 बी.एच.पी. से अधिक
2013-14	मीटर वाले	628	25.00	20.00	603.00	608.00
	बिना मीटर वाले	628	19.55	16.76	608.45	611.24
2014-15	मीटर वाले	664	10.00	8.00	654.00	656.00
	बिना मीटर वाले	664	8.38	6.70	655.62	657.30
2015-16	मीटर वाले	734	10.00	8.00	724.00	726.00
	बिना मीटर वाले	734	8.38	6.70	725.62	727.30
2016-17	मीटर वाले	664	10.00	8.00	654.00	656.00
	बिना मीटर वाले	664	8.38	6.70	655.62	657.30
2017-18	मीटर वाले	725	10.00	8.00	715.00	717.00
	बिना मीटर वाले	725	8.38	6.70	716.62	718.30

परिदान की कम प्राप्ति के कारण 2017-18 तक गत पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित एवं दावा किए गए ए.पी. परिदान, प्राप्त किए गए परिदान तथा लिए गए वृद्धित उधारों के कारण संबद्ध ब्याज लागत को निम्नलिखित चार्ट इंगित करता है जैसाकि ***परिशिष्ट 2*** में विवरण दिया गया है:

चार्ट 2.1.3: देय और प्राप्त किए गए ए.पी. परिदान



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

सरकार द्वारा परिदान का लघु निर्गम उदय स्कीम के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसमें डिस्कोम्ज के वित्तीय बदलाव सुनिश्चित करने के लिए परिदान के सभी बकाया देयों के समयबद्ध निपटान पर विचार किया गया है।

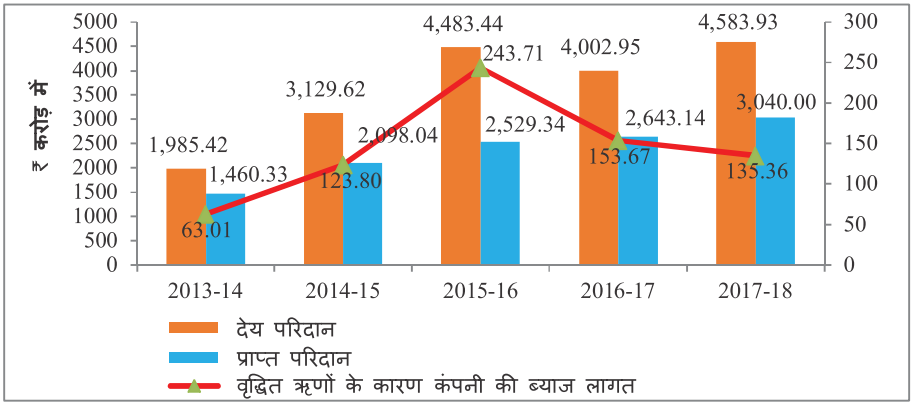
पंजीकृत गौशालाओं को रियायती टैरिफ के संबंध में प्राप्त नहीं की गई परिदान का मूल्य, किसानों के बिजली बिलों की माफी का मूल्य, जिनकी फसलें खराब हो गई थीं और ए.पी. आपूर्ति के संबंध में परिदान की कम प्राप्ति का मूल्य, जो 2013-14 में ₹ 525.09 करोड़ था

[10] एक बी.एच.पी. 0.746 किलोवाट के बराबर है।

वह 2017-18 में ₹ 1,543.93 करोड़ हो गया। परिदान की कम प्राप्ति के परिणामस्वरूप कंपनी को अधिक उधार लेने पड़े और 2013-18 की अवधि के दौरान इन उधारों पर ₹ 719.55 करोड़[11] का ब्याज भार वहन करना पड़ा।

2017-18 तक गत पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित एवं दावा की गई कुल परिदान, कम प्राप्त की गई परिदान तथा दिए गए वृद्धित उधारों के कारण संबद्ध ब्याज लागत को निम्नलिखित चार्ट इंगित करता है।

चार्ट 2.1.4: देय और प्राप्त किए गए कुल परिदान

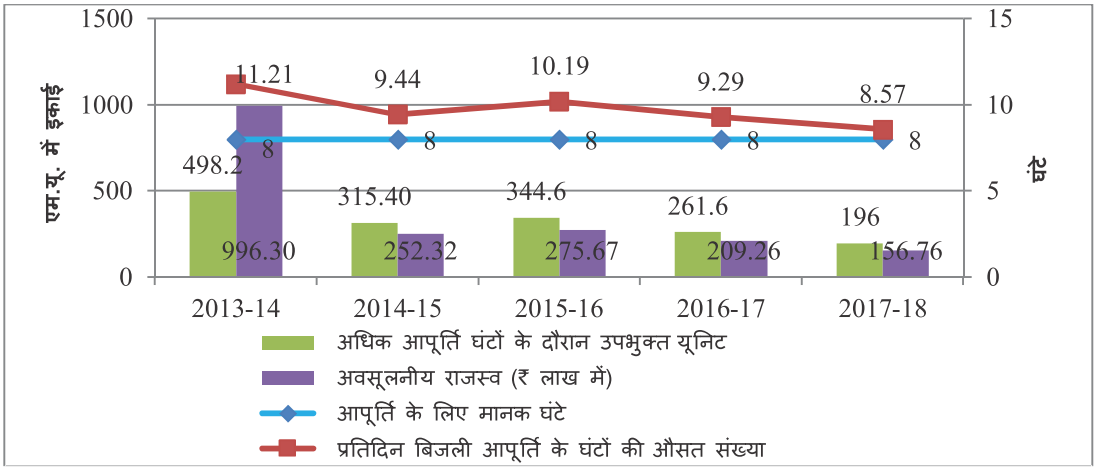


स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

(ii) कंपनी को बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को प्रतिदिन मानक आठ घंटे के लिए बिजली प्रदान करना अपेक्षित है। यदि बिजली मानक घंटों से अधिक आपूरित की जाती है तो कंपनी को आपूरित की गई अधिक बिजली की लागत वहन करनी पड़ेगी।

2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को प्रतिदिन आपूरित बिजली के औसत अधिक घंटों की संख्या, अधिक आपूर्ति घंटों के दौरान उपयोग की गई इकाइयों तथा अवसूलनीय राजस्व को निम्नलिखित चार्ट इंगित करता है:

चार्ट 2.1.5: बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को बिजली की अधिक आपूर्ति



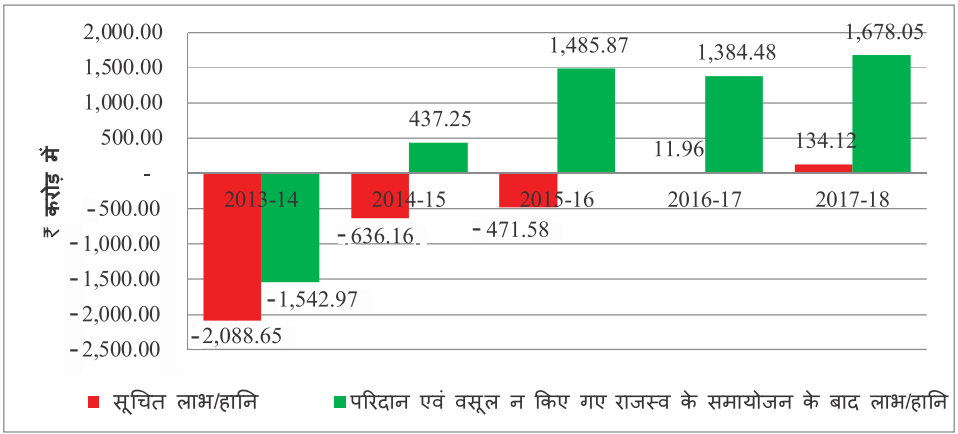
स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

[11] संबंधित वर्षों के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ब्याज की कार्यचालन पूंजी दर पर परिकलित।

कंपनी ने बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को 2013-18 के दौरान ₹ 18.90 करोड़ मूल्य की 1,615.70 मिलियन यूनिट की अधिक बिजली आपूरित की जिसके लिए कोई वसूलनीय राजस्व नहीं था। 2013-14 के दौरान अवसूलनीय राशि 15 बी.एच.पी. तक की क्षमता वाली मोटर के लिए 25 पैसे और 15 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता वाली मोटर के लिए 20 पैसे की बिजली हेतु उच्चतर टैरिफ के कारण अधिक थी, जो कि 2014-15 से आगे 15 बी.एच.पी. तक के लिए 10 पैसे तथा 15 बी.एच.पी. से अधिक के लिए 08 पैसे तक घटाई गई थी।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति तथा कंपनी की लाभप्रदता पर परिदान की अप्राप्ति/कम प्राप्ति का प्रभाव नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.6: लाभ/हानियां यदि कंपनी संपूर्ण परिदान/ब्याज प्राप्त करती



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

यदि कंपनी देय परिदान प्राप्त करती तो वर्ष 2013-14 में हानियां कम हो जाती, हानियां 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान लाभ में बदल जाती तथा 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान लाभ में पर्याप्त सुधार होता।

2.1.7.3 एच.ई.आर.सी. द्वारा पूंजीगत व्यय की अनुमति न देना

एच.ई.आर.सी. ने सभी लाईसेंसधारकों के लिए 2012 में अपने मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन्स अधिसूचित किया। विद्युत वितरण लाईसेंसधारकों की पूंजीगत निवेश योजनाओं की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करते समय ये विनियम निर्धारित करते हैं कि ऐसी योजना बिक्री पूर्वानुमान/राज्य की भार वृद्धि/हानि कम करने के लक्ष्यों इत्यादि के अनुरूप होनी चाहिए। आयोग ऐसे पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की अनुमति देता है जो अनुमोदित कार्यों पर वहन किया जाता है।

एच.ई.आर.सी. ने 2013-17 के दौरान कंपनी की विद्युत मूलभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 2,875.32 करोड़ की पूंजीगत व्यय स्कीमों के आदेश को अनुमोदन दिया। इसके विरूद्ध कंपनी ने ₹ 2,883.72 करोड़ का पूंजीगत व्यय खर्च किया। एच.ई.आर.सी. ने उसी अवधि[12] के दौरान अनुमोदित से अधिक व्यय करने के कारण कंपनी द्वारा प्रस्तावित ₹ 596.66 करोड़ के पूंजीगत व्यय की अनुमति नहीं दी। इससे इन परियोजनाओं पर खर्च किए गए

[12] 2016-17 का ब्याज अभी सत्यापित किया जाना है।

₹ 78.48 करोड़[13] (अनुमोदित कार्य पर ₹ 52.47 करोड़ तथा पूर्णता में विलंब के कारण ₹ 26.01 करोड़) के ब्याज घटक की मंजूरी न मिलने का परिणामी प्रभाव हुआ।

पुन: हरियाणा सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को प्लॉट प्रदान करने के लिए दो स्कीमें- महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना तथा प्रियदर्शनी आवास योजना आरंभ (क्रमश: अक्तूबर 2008 तथा जून 2013) की। इन प्लॉटों में मूलभूत संरचना बिजली कनेक्शनों के साथ प्रदान की जानी थी जिनके लिए सरकार ने निधियां प्रदान करने की सहमति दी थी। तथापि, इसने वित्तीय सहायता प्रदान करने का अपना निर्णय वापस ले लिया (जनवरी 2014)। एच.ई.आर.सी. ने भी इस स्कीम को अनुमोदन नहीं दिया। कंपनी ने स्कीम को वित्त देने की हरियाणा सरकार की मनाही के बावजूद 2014-16 के दौरान ₹ 70.29 करोड़ का पूंजीगत व्यय वहन किया।

चूंकि यह व्यय अपेक्षित पूर्व-अनुमोदन के बिना किया गया था इसे एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमति नहीं दी गई। कंपनी टैरिफ के रूप में पूंजीगत व्यय के अनुमति न दिए गए भाग पर ब्याज लागत भी नहीं ले सकी, जिसने इसके वितरण नेटवर्क को सुधारने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया।

एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन ने बताया कि समुचित औचित्य के साथ ट्रू-अप पिटीशन में एच.ई.आर.सी. से अननुमोदित/अनप्लानड व्यय के दावे के लिए मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन्स 2012 में प्रावधान है तथा वे अपेक्षा करते हैं कि ये व्यय आयोग द्वारा मंजूर होने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रियदर्शनी आवास योजना के अंतर्गत विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा ₹ 29.50 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की गई तथा शेष दावे प्रस्तुत किए गए थे।

कंपनी ने विनियामक अनुमोदन के बिना उपभोक्ताओं के वर्गों को रियायतें दीं। सरकार ने कंपनी को उसकी लागत के लिए पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं दी। कंपनी ने बिना मीटर वाले कृषि पंप उपभोक्ताओं को नियत घंटों से अधिक समय तक ऊर्जा की आपूर्ति की, जिसके लिए उन्हें सब्सिडी प्राप्त करनी थी। इसने बिना नियामक स्वीकृतियों के और अन्य अनुमानित लागतों का परिकलन किए बिना पूंजीगत परियोजनाओं को शुरू किया।

2.1.7.4 उपभोक्ता प्रतिभूति जमाओं पर ब्याज का भुगतान न करना

बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के आधार पर एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी सक्षम बनाने वाले विनियमों में प्रावधान है कि उपभोक्ताओं को अपने ऊर्जा खपत प्रभारों के चार/दो माह[14] के बराबर अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी.) कंपनी के पास रखने होंगे तथा ऐसे जमाओं पर उन्हें उस वर्ष, जिसमें ए.आर.आर. फाईल की जाती है, की 1 अप्रैल को बैंक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

कंपनी को इन अग्रिम खपत जमाओं पर 2013-14 से 2017-18 के दौरान चालू दर[15] पर ₹ 345.41 करोड़ का ब्याज भुगतान/समायोजन करना था। इसके विरूद्ध कंपनी ने ₹ 224.59 करोड़ का शेष असमायोजित छोड़ते हुए ₹ 120.82 करोड़ का ब्याज समायोजित

13 2013-14 - ₹ 20.59 करोड़, 2014-15 - ₹ 41.83 करोड़, 2015-16- ₹ 3.35 करोड़ तथा 2016-17 - ₹ 12.71 करोड़।

14 डी.एस. एवं एन.डी.एस. (20 किलोवाट तक) के लिए द्विमासिक तथा एच.टी./एल.टी. श्रेणी के लिए मासिक।

15 2013-14 - 6 प्रतिशत प्रति वर्ष, 2014-15 - 8.5 प्रतिशत प्रति वर्ष, 2015-16 - 9 प्रतिशत प्रति वर्ष, 2016-17 - 8.5-प्रतिशत प्रति वर्ष तथा 2017-18 - 7.75 प्रतिशत प्रति वर्ष।

किया। 2013-18 के लिए ए.आर.आर. को ₹ 345.41 करोड़ को ब्याज लागत के रूप में शामिल करके तैयार किया गया था और इसलिए ₹ 224.59 करोड़ से बढ़ाया गया था।

2.1.8 कनेक्शन जारी करना और मीटरिंग

2.1.8.1 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर तथा स्मार्ट मीटर

केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (मीटरों का स्थापन एवं परिचालन) विनियम, 2006 में अपेक्षित है कि सभी इंटरफेस मीटर, उपभोक्ताओं के मीटर तथा एनर्जी अकाउंटिंग एंड आडिट मीटर स्टेटिक मीटर होंगे। इन मीटरों में बिजली खपत दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रानिक सर्किट होता है और अधिक सही होते हैं। बिजली खपत डाटा या तो मैनुअल मीटर रीडिंग द्वारा या मीटरों के साथ कॉमन मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट (सी.एम.आर.आई.) जोड़कर लिया जाता है। एच.ई.आर.सी. ने अपने आदेशों (मार्च 2012) में मार्च 2014 तक सभी विद्यमान इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों को स्टेटिक मीटरों से बदलने का निर्देश दिया। ये आदेश वर्ष 2015-16 (मई 2015) के इसके टैरिफ आदेशों में दोहराए गए थे।

कंपनी ने उपभोक्ताओं द्वारा विरोध के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई.एम.) मीटरों को बदलने में कठिनाई व्यक्त की। प्रगति और प्रस्तुत किए गए कारणों से असंतुष्ट एच.ई.आर.सी. ने कंपनी को फिर से दिसंबर 2017 तक शहरी क्षेत्रों में सभी इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों 50 प्रतिशत इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों को बदलने का निर्देश दिया (जुलाई 2017)। कंपनी ने तथापि 2013-14 से 2017-18 के दौरान 5.40 लाख मीटरों में से केवल 2.38 लाख इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर को स्टेटिक मीटरों से बदला, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल थे।

2016-17 के लिए कंपनी के टैरिफ आदेश अधिसूचित करते समय (1 अगस्त 2016) एच.ई.आर.सी. ने 28 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुपालन में, यह अनिवार्य कर दिया कि अब से उपभोक्ताओं के लिए चरणबद्ध ढंग से स्मार्ट मीटर[16] ही लगाए जाएंगे तथा डिस्कोम्ज को भविष्य में केवल स्मार्ट मीटर ही खरीदने थे। इस निर्देश की अगली कड़ी में इसने निर्देश दिया कि 500 किलोवाट घंटा से अधिक मासिक खपत वाले सभी उपभोक्ताओं के मीटर 31 दिसंबर 2017 तक स्मार्ट मीटरों के साथ बदलने होंगे। ऐसा ही कार्य 200 किलोवाट घंटा की मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए 31 दिसंबर 2019 तक पूरा किया जाना है। 30 सितंबर 2018 को प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक की खपत की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या, जिनके मीटर को स्मार्ट मीटर से बदला जाना था, 6.14 लाख थी। 200 से 500 यूनिट प्रति माह की खपत की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 30 सितंबर 2018 तक 8.18 लाख थी। कंपनी ने अभी तक कोई स्मार्ट मीटर नहीं खरीदे हैं (जुलाई 2018)। एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2018) कि तीन वर्षों की अवधि के भीतर दस लाख स्मार्ट मीटरों की खरीद और स्थापन के लिए एक वेंडर के साथ डिस्कोम्ज द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (जुलाई 2018)।

[16] उनमें मानवीय हस्तक्षेप के बिना कंपनी के दूरस्थ डाटा सेंटर को उपभोक्ताओं के परिसरों से मीटर रीडिंग सक्षम बनाने के लिए जी.पी.आर.एस. एनेवल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस (मॉडेम) है।

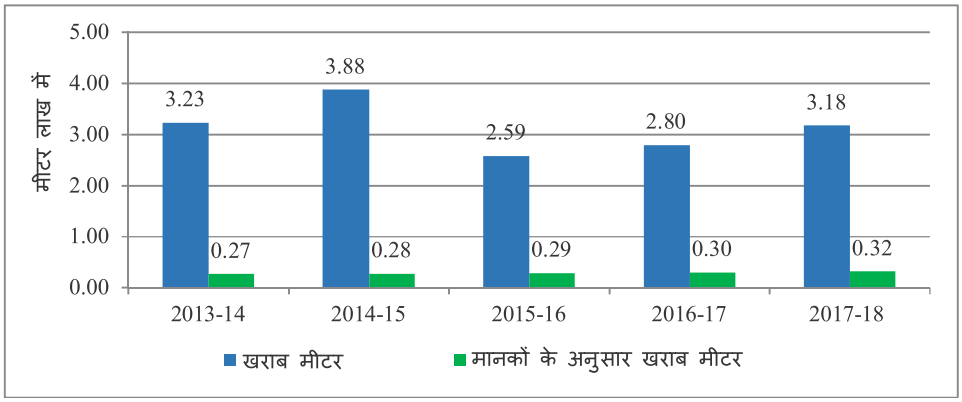
कंपनी विद्युत यांत्रिक मीटरों को स्टेटिक मीटरों से बदल नहीं सकी, जिसके कारण ऊर्जा के लेखांकन में सटीकता के वांछित स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1.8.2 खरीब मीटरों को बदलना

सेवा की गुणवता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संदर्भ में लाईसेंसधारक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम मानकों को एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी किए गए (जुलाई 2004) 'वितरण लाईसेंसधारक के लिए निष्पादन के मानक' में निर्दिष्ट किया गया है। ये मानक निर्धारित करते हैं कि खराब मीटर, कुल स्थापित मीटरों का एक प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। बिक्री नियमावली यह प्रावधान करता है कि दोषपूर्ण मीटरों को उनके रिपोर्ट किए जाने के एक महीने के भीतर बदल दिया जाना चाहिए।

कंपनी के पास 2013-14 के दौरान मीटर वाले 27.40 लाख उपभोक्ता थे। वे 2015-16 में 29.33 लाख हो गए और 31 मार्च 2018 को 31.99 लाख थे। 2013-18 के लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान निर्धारित मानकों के अनुसार और वास्तविक दोषपूर्ण मीटरों की अधिकतम स्थिति नीचे दी गई है:

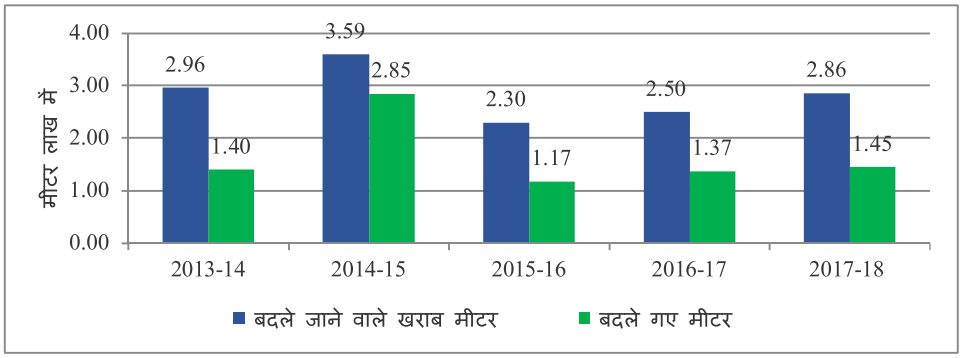
चार्ट 2.1.7: दोषपूर्ण मीटर मानदंड और वास्तविक दोषपूर्ण मीटर



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

कंपनी मानकों के अनुसार दोषपूर्ण मीटरों को बदल नहीं सकी। दोषपूर्ण मीटरों को बदलने की स्थिति को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.8: खराब मीटर और उनका बदलाव



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

चयनित[17] परिमंडलों में 20 किलोवाट तक कनेक्टिड लोड वाले घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) तथा गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.) उपभोक्ताओं के बिलिंग डाटा (2013-18) के अभिलेखों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि जारी किए गए 4.05 करोड़ बिलों में से 24.97 लाख बिलों (14.51 प्रतिशत) ने मीटर कोड को खराब के रूप में दर्शाया। इन 24.97 लाख बिलों में से 8.76 लाख बिल (51,034 उपभोक्ता) पांच माह से अधिक समय से खराब मीटर पर जारी किए गए थे जबकि एक वर्ष से अधिक समय से खराब मीटरों पर 8.31 लाख बिल (38,150 उपभोक्ता) निरंतर जारी किए गए थे। यह इंगित करता है कि खराब मीटर एक माह की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं बदले गए थे।

इसके अतिरिक्त, 1.03 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के विश्लेषण से पता चला कि जिस अवधि के दौरान उपभोक्ता मीटर ठीक से काम कर रहे थे, की तुलना में जिस अवधि में मीटर ख़राब रहे, उस अवधि के दौरान औसत ऊर्जा प्रभार कम थे। यह इंगित करता है कि दोषपूर्ण मीटर के प्रतिस्थापन के कारण कंपनी को राजस्व का नुकसान हो रहा था। यह नीचे दी गई तालिका में विस्तृत रूप से दी गई है:

तालिका 2.1.5: दोषपूर्ण और ठीक अवधि में बिलिंग की तुलना

विवरण		दोषपूर्ण अवधि बिल ठीक अवधि से कम		दोषपूर्ण अवधि बिल ठीक अवधि से अधिक		कुल बिल अवधि		
कोड		दोषपूर्ण	ठीक	दोषपूर्ण	ठीक	दोषपूर्ण	ठीक	कुल
उपभोक्ता	संख्या	1,03,135	1,03,135	1,03,135	1,03,135	1,03,135	1,03,135	1,03,135
बिल	संख्या	2,74,313	6,66,592	2,34,587	5,41,170	5,08,900	12,07,762	17,16,662
वर्तमान ऊर्जा प्रभार	₹ करोड़ में	28.01	1,242.41	182.30	142.37	210.31	1,384.78	1,595.10
बिल अवधि	माह	6,17,948	15,39,960	5,17,615	12,70,018	11,35,563	28,09,978	39,45,542
औसत मासिक ऊर्जा प्रभार	₹ में	453	8,068	3,522	1,121	1,852	4,928	4,043

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध किया गया डाटा।

मार्च 2006 में केंद्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कंपनी ने बिजली मीटरों को उपभोक्ता परिसरों से बाहर लगाने की नीति शुरू की (जुलाई 2006)। कंपनी इस नीति को लागू कर रही है और समीक्षा की अवधि के दौरान, 8.24 लाख ऊर्जा मीटर को प्रतिस्थापित/स्थानांतरित कर दिया गया है। तथापि, कंपनी के पास मीटरों की स्थिति (उपभोक्ता परिसर के अंदर/बाहर) का डाटा उपलब्ध नहीं था इस तथ्य के बावजूद कि यह योजना 2006 से प्रचलन में थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि अब शहरी क्षेत्रों में अधिकतम खराब मीटरों को बदल दिया गया है। तथापि, कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में खराब मीटरों को बदलने में समस्या का सामना कर रही थी। यह आश्वासन दिया गया था कि खराब/इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों को जल्दी ही बदल दिया जाएगा।

दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन नही करने के कारण ऊर्जा की वास्तविक खपत दर्ज नहीं की जा सकी और ऊर्जा का आकलन अनुमान के आधार पर किया गया। कंपनी को ख़राब मीटरों के प्रतिस्थापन के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा था क्योंकि उस अवधि के दौरान जब उपभोक्ता मीटर ठीक से काम कर रहा था की तुलना में जब मीटर ख़राब रहता था, उस अवधि के दौरान ऊर्जा शुल्क औसत ऊर्जा शुल्क से कम था।

[17] भिवानी, फरीदाबाद, गुरूग्राम-II, हिसार, रेवाड़ी तथा सिरसा।

2.1.8.3 आर-ए.पी.डी.आर.पी. क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर लेवल पर मीटरिंग

पुनः संरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-ए.पी.डी.आर.पी.) योजना सितंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई और कंपनी के 18 शहरों में लागू की गई। इस योजना के तहत 18 शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार ने ₹ 93.44 करोड़ मंजूर किए तथा सितंबर 2013 में स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर इस योजना में ₹ 60.50 करोड़ खर्च किए गए थे। स्कीम के भाग-ए के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक परिचलन जैसे मीटरिंग, बिलिंग, संग्रहण, नए कनेक्शन जारी करना, कनेक्शन काटना, ऊर्जा आडिट इत्यादि किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना तथा सिस्टम एनेब्जड सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से किए जाने थे। आर-ए.पी.डी.आर.पी. स्कीम में स्कीम के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्रों में सभी ट्रांसफार्मरों में स्थापित किए जाने वाले वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टी) मीटरों के उपयोग द्वारा मीटरिंग एवं स्वचालित डाटा संग्रहण/ट्रांसमिशन पर विचार किया गया। डी.टी. मीटर एक विशेष क्षेत्र से जुड़े वितरण ट्रांसफार्मर पर स्थापित किए गए थे। डी.टी. के माध्यम से प्रसारित ऊर्जा को दर्ज किया जाना था और इसकी तुलना डी.टी. से जुड़े उपभोक्ताओं के ऊर्जा बिलों से की जानी थी। उद्देश्य उस क्षेत्र की पहचान करना था जहां वितरण हानियां अधिक थीं और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करना था। इन डी.टी. मीटरों में एडवांसड डाटा रिकार्डिंग क्षमता है तथा इनमें कम्युनिकेशन पोर्टस लगाए गए हैं जो वितरण हानियों को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायक हैं।

31 मार्च 2018 को आर-ए.पी.डी.आर.पी. क्षेत्रों में 29,757 डी.टी. में केवल 13,931 (47 प्रतिशत) में डी.टी. मीटर थे जिनमें से केवल 4,077 (29 प्रतिशत) मीटरों में कम्युनिकेटिंग डाटा पाए गए थे। इस प्रकार, प्रणाली के माध्यम से डी.टी. वार वितरण हानियों के परिकलन का प्रयोजन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका था।

2015 से 2018 की अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्र में वृद्धि हुई। परिणामत: डी.टी. की संख्या 2015 में 18,316 से बढ़कर 2018 में 29,757 हो गई। डी.टी. की संख्या में इस वृद्धि को 2013 में, जब यह स्कीम शुरू की गई थी, तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए स्कीम के अंतर्गत निधियों की अपर्याप्तता के कारण डी.टी. मीटरों के स्थापन में कमी थी। प्रबंधन ने बताया कि शेष डी.टी. मीटरों को स्थापित करने का कार्य प्रदान (फरवरी 2018) कर दिया गया था।

कंपनी अपने सभी ट्रांसफार्मरों पर डी.टी. मीटर लगाने में विफल रही। इसलिए, डी.टी.-वार वितरण घाटे की गणना का उद्देश्य केवल आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका था।

2.1.8.4 ए.एम.आर./सी.एम.आर.आई. के माध्यम से हाई टेंशन श्रेणी उपभोक्ताओं की ऊर्जा खपत रिकार्डिंग

आटोमेटिक मीटर रीडर (ए.एम.आर.) एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपभोक्ता की बिजली खपत पद्धति के अन्य विवरणों के साथ बिजली खपत डाटा को कैप्चर करती है तथा उसे बिल बनाने के लिए डाटा सेंटर को प्रेषित करती है। ए.एम.आर. प्रणाली में जनरल पैकेट रेडियो सर्विसिज (जी.पी.आर.एस.) एनेब्लड मोडेम डाटा कम्युनिकेशन के लिए बिजली मीटरों के साथ

स्थापित किए जाते हैं। आर-ए.पी.डी.आर.पी. प्रणाली में सभी हाई टेंशन[18] (एच.टी.) श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए ए.एम.आर. का स्थापन अनिवार्य है।

कंपनी के पास आर-ए.पी.डी.आर.पी. क्षेत्रों में मार्च 2018 को 6,033 एच.टी. उपभोक्ता थे। इनमें से मात्र 3,219 (53 प्रतिशत) उपभोक्ताओं पर ए.एम.आर. उपकरण लगाए गए थे। 1,040 एच.टी. उपभोक्ताओं की बिजली रीडिंग कॉमन मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट (सी.एम.आर.आई.) के माध्यम से तथा शेष 1,774 उपभोक्ताओं की रीडिंग मानवीय रूप से ली जा रही थी।

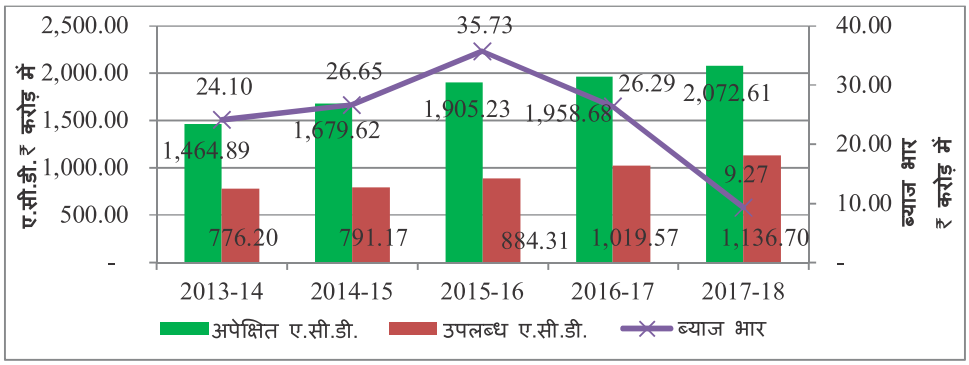
त्रुटि मुक्त बिलों को बनाने के लिए मीटर रीडिंग में स्वचालन का उद्देश्य एच.टी. उपभोक्ताओं के मीटर पर ए.एम.आर. की स्थापना नहीं करने/कार्य नहीं करने के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। मीटर रीडिंग को मैन्युअल रूप से लिया गया और सिस्टम में डाला गया।

2.1.8.5 अग्रिम खपत जमा का संशोधन न करना

एच.ई.आर.सी. ने कंपनी के नए आपूर्ति कोड विनियम अधिसूचित किए (2014)। विनियम 4.15.4 के अनुसार सभी उपभोक्ता दो बिलिंग चक्रों, अर्थात दो/चार माह के ऊर्जा खपत प्रभारों के बराबर, के लिए अनुमानित विद्युत खपत आवृत्त करने के लिए अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी) का अनुरक्षण करेंगे। पिछले वर्ष की 12-माह की खपत पद्धति के आधार पर ए.सी.डी. में वार्षिक रूप से संशोधन किया जाना था। ए.सी.डी., उपभोक्ताओं द्वारा देयों का भुगतान न करने के विरूद्ध कंपनी को सुरक्षा प्रदान करती है।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान एकत्र किए जाने के लिए अपेक्षित ए.सी.डी. तथा कंपनी के पास उपलब्ध ए.सी.डी. को निम्नलिखित चार्ट इंगित करता है।

चार्ट 2.1.9: अपेक्षित तथा उपलब्ध अग्रिम खपत जमा



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

कंपनी ने पिछली अवधियों में अपने उपभोक्ताओं की खपत पद्धति पर आधारित ए.सी.डी. के रूप में 31 मार्च 2018 तक ₹ 935.91 करोड़ कम वसूल किए थे। ए.सी.डी. की कम वसूली

[18] एच.टी. श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 50 किलोवाट से अधिक कनेक्टिड लोड वाले औद्योगिक उपभोक्ता।

के परिणामस्वरूप अधिक उधार हुए थे तथा 2013-18 के दौरान ₹ 122.05 करोड़[19] की राशि के ब्याज भार में वृद्धि हुई थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि 2017-18 की पहली तिमाही में वर्ष 2016-17 के लिए आर-ए.पी.डी.आर.पी. क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए ए.सी.डी. में संशोधन किया गया था तथा अन्य क्षेत्रों के लिए ए.सी.डी. में संशोधन करने की प्रक्रिया प्रगति में है।

कंपनी ने पिछले अवधियों के उपभोक्ताओं के उपभोग पद्धति के आधार पर ए.सी.डी. की कम वसूली की थी। ए.सी.डी. की कम वसूली के परिणामस्वरूप उच्च ऋण लिया गया था और परिणामस्वरूप ब्याज बोझ बढ़ गया था।

2.1.8.6 प्रतिबंधित/डार्क जोन में ए.पी. नलकूप कनेक्शन जारी करना

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने भू-जल के विनियमन हेतु दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में नौ महत्वपूर्ण/अधिक शोषित क्षेत्र अधिसूचित किए थे (1998-99 से 2012-13)। सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने इन क्षेत्रों में नई भू-जल संरचनाओं के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। यह अवलोकित किया गया था कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा निषेध के बावजूद कंपनी ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 2013-14 से 2017-18 के दौरान 4,811 नए नलकूप कनेक्शन जारी किए थे। कंपनी ने सी.जी.डब्ल्यू.ए. अधिसूचना के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए देरी से अप्रैल 2016 में अनुदेश जारी किए। इसके बावजूद नौ[20] परिचालन उप-मंडलों ने अप्रैल, 2016 के बाद इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में 428 नए कनेक्शन जारी किए थे।

प्रबंधन ने मामला स्वीकार किया और बताया कि कंपनी ने अब इन प्रतिबंधित/डार्क जोन में नए ए.पी. नलकूप इलेक्ट्रिक कनेक्शन जारी करना बंद कर दिया है (मार्च 2018 से)।

कंपनी ने सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन में डार्क जोन में कृषि पंप सेट कनेक्शन जारी किए और अधिसूचना के बाद भी जारी किए गए कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट नहीं किया है।

2.1.9. ऊर्जा बिल

2.1.9.1 शहरों के उन क्षेत्रों में जहां बिजली वितरण मूलभूत संरचना आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के तहत सृजित की गई थी, वहां बिल बनाने का कार्य, इन-हाउस कर लिया गया था। शेष क्षेत्रों में, बिलिंग कार्य मैसर्ज हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन - हरियाणा राज्य पी.एस.यू.) के माध्यम से किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए छः चयनित परिचालन परिमंडलों के बिलिंग डाटा की जांच की गई। निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

19 संबंधित वर्षों के टैरिफ आदेश में एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत कार्यचालन पूंजी पर ब्याज की दर तथा ए.सी.डी. पर उपभोक्ता को भुगतान करने के लिए अनुमत ब्याज की दर के मध्य अंतर पर परिकलित।

20 रानिया, जीवन नगर, ऐलनाबाद, पंजुआना, माधोसिंगानिया, बादशाहपुर, पटौदी, फारूखनगर तथा भोरा कलां।

क) कंपनी ने ए.पी. मीटर्ड उपभोक्ताओं से न्यूनतम मासिक प्रभार[21] (एम.एम.सी.) प्रभारित नहीं किया था, जैसा कि शुल्क आदेशों में अधिसूचित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ की कम वसूली हुई थी;

ख) कंपनी ने एल.टी. श्रेणी में 20 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड वाले उपभोक्ताओं पर नियत प्रभार[22] नहीं लगाए/कम लगाए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.99 करोड़ की कम वसूली हुई;

ग) कंपनी ने 1.55 लाख उपभोक्ताओं के 14.41 लाख बिलों में ₹ 6.63 करोड़ का मीटर किराया प्रभारित किया, जिनके मीटर निष्क्रिय या खराब हो गए थे;

घ) 1.28 लाख उपभोक्ताओं के दो लाख बिलों में क्रमशः एकल और तीन चरण मीटर पर ₹ 20 और ₹ 30 प्रति माह की निर्धारित दरों पर मीटर किराया प्रभारित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.19 लाख की कम वसूली हुई।

ङ) आपूर्ति संहिता यह प्रावधान करती है कि 20 किलोवाट तक के लोड वाले घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में कंपनी को उपभोक्ताओं के लिए दो महीने तक की अवधि वाले बिल जारी करने चाहिए। बिल बनाने के लिए निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया गया था। 2013-18 के दौरान, ₹ 1558.31 करोड़ मूल्य के 19.54 लाख बिल विलंब से (10 दिनों के मार्जिन की अवधि के बाद) बनाए गए, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.1.6: बिल बनाने में विलंब

दिनों की सीमा	बिलों की संख्या (लाख में)		बिल की राशि (₹ करोड़ में)	
	आर-ए.पी.डी.आर.डी.	हारट्रोन	आर-ए.पी.डी.आर.डी.	हारट्रोन
71-80	4.42	0.39	299.55	35.66
80-100	3.90	0.48	274.78	26.69
100-120	1.51	0.60	135.61	44.67
120-200	5.41	2.83	478.99	262.34
कुल	**15.24**	**4.30**	**1,188.93**	**369.36**

च) कंपनी ने 13.58 लाख आर.ए.पी.डी.आर.ए.पी. उपभोक्ताओं में से 5.56 लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर प्राप्त नहीं किए थे। 3 लाख उपभोक्ताओं के रिकार्ड के अनुसार मोबाइल नंबर दोहरे थे। दोहरेपन की संख्या 2 से 1,456 उपभोक्ताओं के खातों तक थी। मोबाइल नंबर प्राप्त न करने और गलत मोबाइल नंबर दर्ज करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के साथ तेजी से संपर्क स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।

21 ऊर्जा उपभोग और एम.एम.सी. को ऊर्जा में गिरावट की स्थिति में राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए आपूर्ति की न्यूनतम निर्धारित लागत और निर्धारित शुल्क पर लगाया जाता है एम.एम.सी. न्यूनतम शुल्क है, उपभोक्ता को उस समय भुगतान करना होता है जब मासिक ऊर्जा शुल्क संबंधित वर्ष के टैरिफ आर्डर में अनुमोदित न्यूनतम शुल्क से कम हो यदि ऊर्जा प्रभार एम.एम.सी. से अधिक हो तो वास्तविक उपभोग के अनुसार राशि देय होती है।

22 नियत प्रभार अतिरिक्त शुल्क हैं, जो बड़े और मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं (एच.टी. और एल.टी.) और 20 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड वाले गैर-घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं से उद्गृहीत किए जाते हैं। वे ऊर्जा की खपत के बावजूद लगाए जाते हैं।

प्रबंधन ने एग्जिट कांफ्रेंस में बताया कि (क) और (ख) के लिए लेखापरीक्षा के बताने पर राशि की वसूली कर ली गई थी। हालांकि, यह लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। अन्य सर्कल में भी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया गया था; (ग), (घ) और (ङ) के लिए लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था।

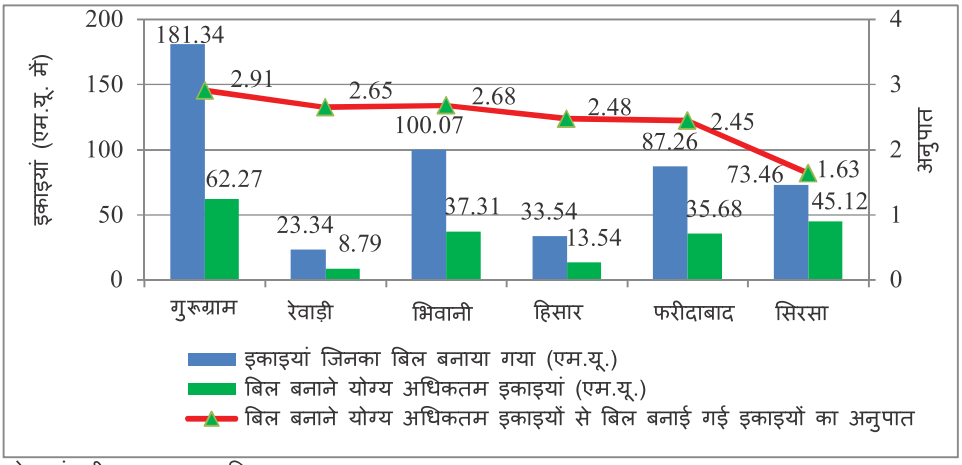
कंपनी को उपभोक्ताओं को त्रुटि मुक्त बिल जारी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिलिंग सॉफ्टवेयर में तार्किक नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है। तार्किक नियंत्रण में कमियों के परिणामस्वरूप एम.एम.सी. और फिक्स्ड चार्ज, दोषपूर्ण मीटर पर मीटर किराया और बिल बढ़ाने में देरी हुई।

2.1.9.2 स्वीकृत लोड से अधिक ऊर्जा की खपत

बिलिंग डाटा में उपभोक्ताओं के ऊर्जा खपत तरीके में अन्य बातों के साथ स्वीकृत लोड के बारे में सूचना, उपर्युक्त किलोवाट घंटा और संबंद्ध लोड शामिल है। यह जानकारी कंपनी के लिए अपने वितरण की मूलभूत संरचना और लोड की योजना बनाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की बिक्री नियमावली स्वीकृत खपत भार से 10 प्रतिशत से अधिक की ऊर्जा खपत के मामले में एक बार जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है।

चयनित सर्किलों में 16.09 लाख डी.एस. उपभोक्ताओं में से 0.70 लाख डीएस उपभोक्ताओं ने 2013-18 के दौरान 499.00 एम.यू.[23] ऊर्जा की खपत की थी, जबकि अधिकतम संभव इकाईयाँ जोकि 24 घंटे के लिए पूर्ण स्वीकृत लोड पर 100 प्रतिशत लोड फैक्टर में 202.72 एम.यू. उपभोग की जा सकती थीं। छः चयनित परिमंडलों में पूर्ण स्वीकृत भार की तुलना में ऊर्जा खपत नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.10: 2013-18 के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा लोड का उपभोग



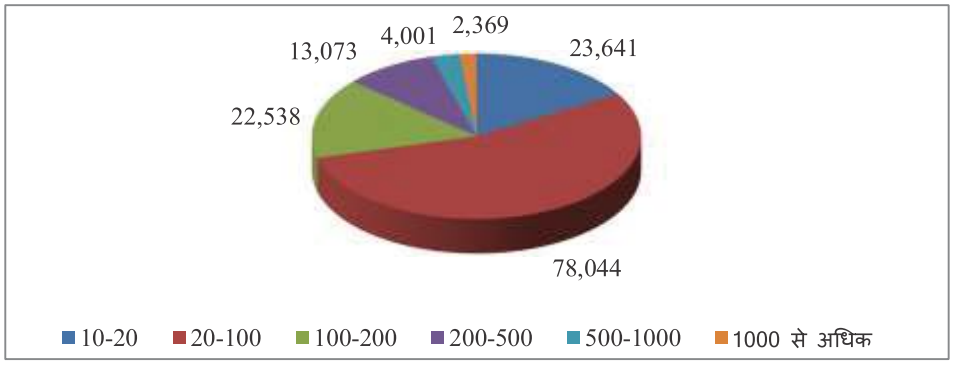
स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग के समय उपयोग किए जाने वाले वास्तविक लोड का डाटा नहीं लिया था, जिसके कारण बिलिंग के समय स्वीकृत लोड से अधिक उपयोग किए गए लोड के मामलों का पता नहीं चल सका। नीचे दिए गए चार्ट से पता चलता है कि 1.44 लाख बिलों में से 0.78 लाख बिलों (54 प्रतिशत) में 20 से 100 प्रतिशत की

[23] अधिकतम संभावित उपभोग (स्वीकृत भार* 24 घंटे* दिनों की संख्या) के 30 गुना से अधिक लागत वाले बिलों को अवास्तविक होने की अनदेखी की गई है।

सीमा में अतिरिक्त खपत थी, 0.23 लाख बिलों (16 प्रतिशत) में स्वीकृत भार का 100 से 200 प्रतिशत अतिरिक्त खपत थी और 2,369 बिलों में (2 प्रतिशत) अत्यधिक भार 1,000 प्रतिशत से अधिक था।

चार्ट 2.1.11: घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त अधिक लोड के बिलों की संख्या और सीमा (प्रतिशत में)



उपभोक्ता के उपभोग पैटर्न का संज्ञान लेने वाली कंपनी को उनके स्वीकृत लोड में वृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए थी। यदि कंपनी यह प्रक्रिया आरंभ करती तो वह उपभोक्ताओं के वास्तविक भार के अनुसार आधारभूत संरचना को बढ़ाकर बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम होने के अतिरिक्त ए.सी.डी. और सेवा कनेक्शन प्रभार के एवज में अतिरिक्त शुल्क ले सकती थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर मामला जांच के लिए और आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सतर्कता विंग को भेजा जाएगा। कंपनी निगरानी में चूक के लिए अधिकारियों/अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के मामले की जांच कर सकती है, जिसके कारण उपभोक्ता स्वीकृत भार से अधिक बिजली का उपयोग करते रहे।

कंपनी ने स्वीकृत भार से अधिक लोड के उपयोग के मामलों का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं के बिलिंग डेटा का विश्लेषण नहीं किया था और उपभोक्ताओं से लोड बढ़ाने के साथ जुड़े अतिरिक्त शुल्क (अर्थात् निश्चित शुल्क, न्यूनतम मासिक शुल्क और सेवा कनेक्शन शुल्क) की वसूली नहीं कर सकी थी।

2.1.10 राजस्व का संग्रह

सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के संबंध में बिल का भुगतान संबंधित उप प्रभागों में और उद्देश्य के लिए नियुक्त संग्रह एजेंसियों द्वारा किया जाता है। यह जरूरी है कि कंपनी को देय राजस्व तुरंत वसूल किया जाए, उसको दर्ज किया जाए तथा बकायों को संचित न होने दिया जाए।

2.1.10.1 राजस्व बिलिंग और संग्रह दक्षता

31 मार्च 2018 को पिछले पांच वर्षों के दौरान एच.ई.आर.सी./उदय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध कंपनी की बिलिंग और संग्रहण दक्षता की स्थिति को ***परिशिष्ट 3*** में दर्शाया गया है।

कंपनी के कुल बकाया देनदार[24] 31 मार्च 2014 में ₹ 4,460.18 करोड़ से बढ़कर, 31 मार्च 2018 को ₹ 7,332.71 करोड़ हो गए थे। वर्ष 2013-18 के दौरान बिजली बिलों के महीनों की संख्या के संबंध में 5.17 महीनों से 6.22 महीनों का बकाया रहा।

- वर्ष 2014-15 से 2017-18 के अंत में बकाया प्राप्तियों का आयु-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.1.7: बकाया प्राप्तियां दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	3 वर्ष से अधिक (प्रतिशतता)	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	6 माह से 1 वर्ष	6 माह तक	कुल
2013-14	1,312.95 (29.44)	297.20	356.14	993.74	1,500.15	4,460.18
2014-15	1,652.94 (30.98)	857.13	1,263.55	778.91	779.10	5,331.63
2015-16	1,843.96 (29.00)	1,593.71	1,892.88	400.39	627.63	6,358.57
2016-17	2,803.19 (39.78)	2,208.67	1,346.72	235.62	452.30	7,046.50
2017-18	3,850.06 (52.51)	1,296.13	1,900.31	265.79	20.42	7,332.71

- जैसा कि ऊपर देखा गया है, कुल बकाया प्राप्तियों में तीन साल से अधिक समय तक प्राप्त प्राप्तियों की हिस्सेदारी 2013-14 में 29.44 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 52.51 प्रतिशत हो गई।
- सरकारी विभागों से बिजली के बिलों का भुगतान न किया गया बकाया मार्च 2016 में ₹ 569.28 करोड़ था जो बढ़कर मार्च 2018 तक ₹ 632.97 करोड़ हो गया। यह उदय स्कीम (क्लॉज़ 1.2 एम) के उल्लंघन में था, जो यह निर्धारित करता है कि बिजली की आपूर्ति के लिए सरकारी विभागों से सभी बकाया राशि का भुगतान डिस्कोम्ज को 31 मार्च 2016 तक किया जाना चाहिए।
- लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा 98 से 99 प्रतिशत तक के नियत लक्ष्य के विरूद्ध कंपनी संग्रह दक्षता 64.67 से 68.01 तक की सीमा में थी।

प्रबंधन ने बताया कि मार्च/अप्रैल 2018 में सरकारी विभागों से ₹ 300 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी और शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के बकाया देनदार बढ़ गए थे और संग्रह दक्षता के लक्ष्य भी एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित नहीं थे।

2.1.10.2 कनेक्शन की समय-समय पर जांच

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 163, उपकरण के निरीक्षण और परीक्षण के लिए वितरण कंपनी को एक उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करती है। अपर पुलिस महानिदेशक के अधीन कार्य कर रहे कंपनी के सतर्कता विभाग को कंपनी के परिचालन स्टॉफ द्वारा जांच करने के अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों की सहायता से उपभोक्ताओं के परिसर की जांच करने का काम सौंपा गया है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान सतर्कता और

[24] इसमें उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री के लिए देनदार, न बनाए गए एक महीने (मार्च) के राजस्व बिलों को न चुकाने के लिए देनदार और स्थाई रूप से डिस्कनैक्ट किए गए उपभोक्ताओं से बकाया राशि और बिजली की अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए देनदार शामिल हैं।

परिचालन विंग द्वारा जांच किए गए उपभोक्ता परिसरों की संख्या, पकड़ी गई बिजली की चोरी और राजस्व की वसूली के मामलों को ***परिशिष्ट 4*** में दर्शाया गया है।

जांच किए गए कनेक्शनों की संख्या 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल कनेक्शनों की संख्या के 3.11 और 4 प्रतिशत के मध्य थी। सतर्कता विंग द्वारा चोरी का पता लगाने की प्रतिशतता 44.89 और 68.82 प्रतिशत के मध्य रही और आपरेशन विंग द्वारा चोरी का पता लगाने की प्रतिशतता 13.37 और 46.83 प्रतिशत के मध्य रही। जांच के दौरान निर्धारित राशि के विरूद्ध वसूल की गई राशि का प्रतिशत 2013-14 में 51.96 से घटकर 2017-18 में 50.02 प्रतिशत हो गया।

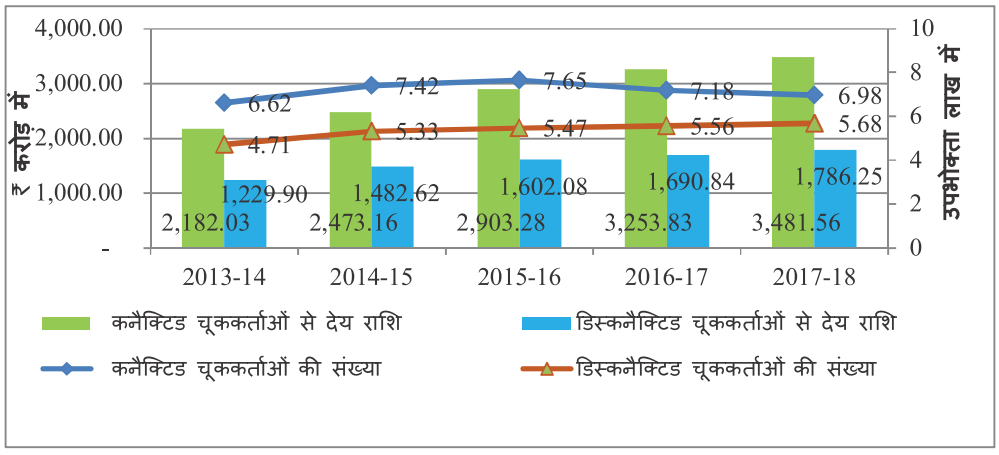
प्रबंधन ने बताया कि समय-समय पर निरीक्षण एक महंगा मामला है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता के अनुकूल नहीं है। तथापि, उन्होंने जांच की संख्या बढ़ाने का आश्वासन दिया।

2.1.10.3 बकाएदारों से बकाया

एच.ई.आर.सी. आपूर्ति कोड, 2014 में प्रावधान है कि यदि उपभोक्ता बिल में दी गई देय तिथि के 15 दिनों के भीतर बिजली बिल का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उपभोक्ता आपूर्ति को डिस्कनैक्ट करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार डिस्कनेक्ट किए गए परिसरों में बिजली की आपूर्ति को तब तक पुन: चालू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि सभी बकाया देयों का पूर्ण निपटान नहीं हो जाता है और यदि उपभोक्ता के डिस्कनेक्शन को छ:/तीन[25] महीने के भीतर प्रभावी नहीं किया जाता है तो बिलों के बकाया संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को वित्तीय दंड के रूप में नियत किया जाएगा।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के राजस्व संग्रह के बकाया की स्थिति नीचे दिए गए चार्ट में दिखाई गई है:

चार्ट 2.1.12: कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड चूककर्ता उपभोक्ताओं की स्थिति

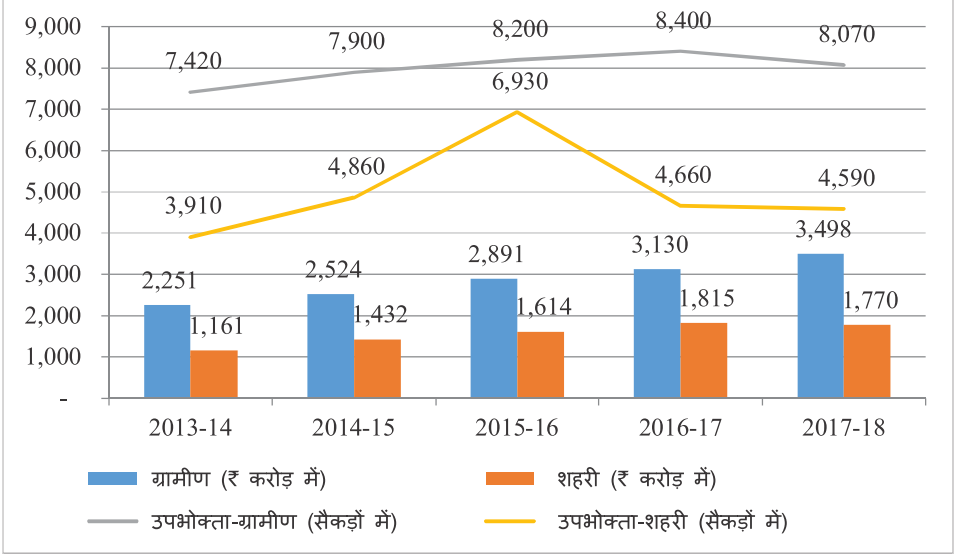


स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

[25] डी.एस./एन.डी.एस. वर्गों के लिए छ: माह और अन्य उपभोक्ताओं के लिए तीन माह।

चूककर्ताओं को ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं में बांटा गया है।

चार्ट 2.1.13: ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं से चूक राशि की स्थिति



जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, कनेक्टेड उपभोक्ताओं से वसूली गई राशि 2013-14 में ₹ 2182.03 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 3481.56 करोड़ हो गई थी। ग्रामीण बकाएदारों (8.07 लाख) की संख्या शहरी बकाएदारों (4.59 लाख) की संख्या से अधिक थी। शहरी उपभोक्ताओं (₹ 1770 करोड़) से वसूली योग्य राशि के मुकाबले ग्रामीण उपभोक्ताओं से वसूली योग्य राशि 2017-18 में ₹ 3498 करोड़ थी। ग्रामीण[26] उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली राशि 2013-14 में ₹ 2251 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 3498 करोड़ हो गई जबकि शहरी[27] उपभोक्ताओं के लिए इसी अवधि में यह राशि ₹ 1,161 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,770 करोड़ हो गई।

कंपनी ने कनेक्टेड बकाएदारों की बकाया की अवधि पर डाटा नहीं बनाया। इसलिए, चूककर्ता उपभोक्ताओं को डिस्कनेक्ट करने में देरी की सीमा की जांच करना संभव नहीं था। प्रबंधन ने बताया कि एकत्र हुए बकाया को घटाने के प्रयास किए जा रहे थे।

चूक की राशि (कनेक्ट और डिस्कनेक्ट की गई) 2013-14 में ₹ 3,411.93 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 5,267.81 करोड़ हो गई। कनेक्टेड उपभोक्ताओं के बकाया अवधि का डाटा उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण किसी उपभोक्ता को डिस्कनेक्ट करने में लगने वाले औसतन समय का पता नहीं चल पाया।

[26] ग्रामीण उपभोक्ताओं में ग्रामीण घरेलू और कृषि कनेक्शन शामिल हैं।

[27] शहरी उपभोक्ताओं में शहरी घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक और सरकारी उपभोक्ता शामिल हैं।

2.1.10.4 चेकों के विलंबित प्राप्ति के कारण ब्याज की हानि

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ए.आर.आर. पर एच.ई.आर.सी. के आदेशों के अनुपालन में, कंपनी ने (मई 2016) अपने फील्ड कार्यालयों को अनुदेश दिया कि ₹ एक लाख से ऊपर के सभी भुगतान केवल आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी[28]. के माध्यम से स्वीकार किए जाने चाहिए। जनवरी से मार्च 2017 के दौरान यह सीमा घटाकर ₹ 25,000 और 1 अप्रैल 2017 से ₹ 15,000 तक कर दी गई थी। अनुदेशों के बावजूद, कंपनी ने आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के बजाय निर्धारित सीमा से अधिक के चेकों के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8,008.01 करोड़ की मूल राशि पर ₹ 14.12[29] करोड़ ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी।

उन उपभोक्ताओं के चैकों की वसूली में भी देरी हुई जो 16 से 1,117 दिनों की निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13,194.74 करोड़ की मूल राशि पर ₹ 12.50 करोड़[30] के ब्याज की हानि हुई। कंपनी ने विलंबित क्रेडिट के लिए बैंकों के साथ मामला नहीं उठाया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी चेक की प्राप्ति से पहले उपभोक्ताओं के खाते में क्रेडिट दे रही थी।

प्रबंधन ने बताया कि अब चेक की बजाय आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है और एक प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें चेक की प्राप्ति पर उपभोक्ताओं को एक अनंतिम रसीद दी जाएगी और बैंक से चेक की क्लीयरेंस के बाद ही क्रेडिट दिया जाएगा।

2.1.10.5 कंपनी के मुख्य खाते में निधियों का विलंबित हस्तांतरण

कंपनी पर ब्याज लागतों को बचाने के लिए, विभिन्न खातों में पड़े फंड को तुरंत कैश प्रबंधन प्रणाली (सी.एम.एस.) खाते के माध्यम से कंपनी के मुख्य खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2018 तक, कंपनी के 143 अलग-अलग संग्रह खाते थे, जिनमें से केवल 69 खाते सी.एम.एस. से जुड़े थे और शेष 74 गैर-सी.एम.एस. खाते थे।

तीन[31] उप-मंडलीय कार्यालयों में, ₹ 97.13 करोड़ दो से 65 दिनों की देरी के साथ अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान प्रधान कार्यालय में हस्तांतरित किए गए थे। इस राशि में से, ₹ 75.50 करोड़ 10 दिनों की देरी से और शेष ₹ 21.63 करोड़ को दस दिनों से अधिक की देरी के साथ हस्तांतरित किए गए। निधियों के इस विलंबित हस्तांतरण के कारण कंपनी अपने कैश क्रेडिट लिमिट खातों का उस सीमा तक निपटान नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.28 लाख[32] का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा।

28 निधि का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण का तरीका।

29 वर्ष 2013-18 के लिए ए.आर.आर. में एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत कार्यशील पूंजी ब्याज की औसत दर पर कार्य किया - 11.31 प्रतिशत।

30 पांच अतिरिक्त दिनों की अनुमति के बाद 2013-18 के दौरान 11.31 प्रतिशत भारित ब्याज दर पर परिकलित।

31 कनीना, अटेली मंडी और नांगल चौधरी।

32 2015-17 के ए.आर.आर. में कार्यशील पूंजी ऋण पर एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत 11.90 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर परिकलित।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि निधियों के हस्तांतरण में देरी के परिहार के लिए सभी वर्तमान गैर-सी.एम.एस. खातों को सी.एम.एस. खातों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा।

2.1.10.6 बैंक में जमा नकद और चेक का मिलान न होना

बैंक में जमा (आर.आई.बी.) के मिलान के डाटा के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि जनवरी 2011 से मार्च 2018 के दौरान उप-मंडल कार्यालयों द्वारा विभिन्न बैंकों में जमा किए गए ₹ 2.23 करोड़ के रोकड़ और ₹ 26.30 करोड़ के चेक बैंक स्टेटमैंट के साथ मेल नहीं खाते। उपर्युक्त मेल नहीं हुए नकद और चेक के आयु-वार विश्लेषण से पता चला है कि ₹ 1.36 करोड़ की नकद और ₹ 8.25 करोड़ की राशि के चेक तीन वर्षों से अधिक के लिए बिना मिलान के रहे। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि जनवरी 2011 से मार्च 2018 तक उप-मंडल कार्यालयों द्वारा ₹ 21.45 करोड़ की राशि के बताए गए अस्वीकृत 4,055 चेक उनकी बैंक स्टेटमैंट में नहीं पाए गए। मिलान न होने या देर से होने के कारण दुरूपयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि 16 टीमों का गठन करके एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और अंतिम स्थिति लेखापरीक्षा को सूचित की जाएगी।

कंपनी ने आर.टी.जी.एस./ऑनलाइन मोड के बजाय निर्धारित सीमा से अधिक के चेक के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप विलंबित निकासी पर ब्याज का नुकसान हुआ। बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की देरी के मामलों में कंपनी ने बैंकों के साथ विचार विमर्श नहीं किया था। कंपनी समय-समय पर बैंक विवरणी के साथ नकदी और चेक को मिलान नहीं कर पायी थी, जिसके परिणामस्वरूप दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अपने बैंक खातों को सी.एम.एस. खातों में परिवर्तित नहीं करने के कारण विभिन्न स्थानीय बैंकों के खाते से धनराशि कंपनी के मुख्य खाते में हस्तांतरित कर दी गई थी।

2.1.11 आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण एक प्रबंधन उपकरण है जिसका उपयोग उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए किया जाता है कि प्रबंधन के उद्देश्यों का कुशल और प्रभावी तरीके से पालन किया जा रहा है।

कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी.ए.) की फर्मों को आंतरिक लेखापरीक्षा का काम सौंपा है और कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग सी.ए. द्वारा किए गए काम की जांच करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की समीक्षा से निम्नलिखित कमियां सामने आईं:

- एच.ई.आर.सी. आपूर्ति संहिता, 2014 में लाए गए प्रावधानों को कंपनी की बिक्री नियमावली, 2013 में लाने के लिए उसे अद्यतन करने की आवश्यकता है। नए आपूर्ति संहिता की शुरुआत के कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दों में बदलाव आया है। उदाहरण के लिए- कम खपत वाले उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा को 45 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया, उपभोक्ताओं से अग्रिम खपत जमा की समीक्षा करने की अवधि को तीन साल में एक बार से घटाकर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में कर दिया गया, ए.पी. उपभोक्ताओं पर ₹ 2,000 प्रति बी.एच.पी. की चोरी के दंड प्रभारों के एकमुश्त निर्धारण को बदलकर भार

आधारित निर्धारण (एक महीने में 20 दिनों के लिए आठ घंटे की आपूर्ति मानकर) आदि कर दिया गया। कंपनी ने बदलावों को दर्शाते हुए बिक्री परिपत्र जारी किया है लेकिन आज तक (नवंबर 2018) इसकी बिक्री नियमावली को संशोधित नहीं किया है।

- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि इन रिपोर्टों में दी गई टिप्पणियाँ सामान्य हैं जैसे स्वीकृति के बिना किए गए खर्च, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का निपटान न होना, संबंधित अधिकारियों से अग्रिम की वसूली न करना और गलत श्रेणी में कनेक्शन जारी करने के कारण राजस्व का अवनिर्धारण आदि। यद्यपि, विलंबित/परिदान जमा न करने के दावों, ए.पी. उपभोक्ताओं को बिजली की अधिक आपूर्ति आदि मामलों पर अभ्युक्ति नहीं की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि बिक्री नियमावली को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और इस प्रकार की अनियमितताओं को देखने के लिए सभी सी.ए. फर्मों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

कंपनी ने अपनी बिक्री नियमावली को अद्यतन नहीं किया है और जिन गतिविधियों में प्रमुख राजस्व और व्यय शामिल है, उन्हें आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

टैरिफ, बिलिंग और राजस्व संग्रह के संबंध में कंपनी का प्रदर्शन कई पहलुओं में कम पाया गया। कंपनी ने किसानों को बिजली के बिल माफ करने और महिला उपभोक्ताओं और पंजीकृत गौशालाओं को दी गई छूट पर ₹ 20.81 करोड़ की परिदान का दावा नहीं किया है। एच.ई.आर.सी. के निर्देशानुसार कंपनी द्वारा स्थिर मीटरों के साथ 3.02 लाख विद्युत यांत्रिक मीटरों को बदला जाना था। कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त ए.सी.डी. के रूप में ₹ 935.91 करोड़ की राशि कम वसूली थी। नियत प्रभारों की कम वसूली और मीटर किराए के कम प्रभार के परिणामस्वरूप ₹ 15.02 करोड़ की राशि प्राप्त नहीं हुई। स्वीकृत लोड से अधिक अनधिकृत ऊर्जा की खपत के कारण राजस्व का नुकसान संभावित रूप से अधिक था। कंपनी पिछले पांच वर्षों के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा यथा निर्धारित संग्रह दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी और इसके परिणामस्वरूप वसूलनीय राशि ₹ 4,460.18 करोड़ (मार्च 2014) से बढ़कर ₹ 7,332.70 करोड़ (मार्च 2018) हो गई थी। कंपनी ने कनेक्टेड चूककर्ताओं के आयु-वार विश्लेषण का अनुरक्षण नहीं किया। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि बैंकों में किए जमा भुगतान का समय-समय पर बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलान नहीं किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा ने उपभोक्ताओं के डाटाबेस में कमियों को इंगित नहीं किया जिसके कारण कंपनी के राजस्व पर विपरित प्रभाव पड़ा।

सिफारिशें

कंपनी विचार कर सकती हैः

- एच.ई.आर.सी. के उचित अनुमोदन से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति पर छूट दी गई है, को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना करना;
- एच.ई.आर.सी. के आदेशों के अनुसार दोषपूर्ण और विद्युत-यांत्रिक मीटरों को बदलना और पिछली अवधियों के खपत पैटर्न के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली ए.सी.डी. को संशोधित करना;
- अधिक खपत के मामलों की पहचान करने के लिए उपभोक्ताओं की खपत पैटर्न के विरूद्ध स्वीकृत लोड का विश्लेषण करना और बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिजली की अतिरिक्त आपूर्ति रोकना;
- बिलों को समय से प्रस्तुत करना और दोषी उपभोक्ताओं से बकाया का त्वरित संग्रह सुनिश्चित करना; तथा
- अपने निधि प्रबंधन में सुधार और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना।